

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :-1264 / 2025

सुनिल दत्त यादव

—अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा विभाग, राजस्थान, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, संस्कृत शिक्षा, शिक्षा संकुल जयपुर।
3. आयुक्त, संस्कृत शिक्षा, शिक्षा संकुल, जयपुर।

—प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 19.02.2025

उपस्थिति :-

अपीलार्थी की ओर से : श्री सुधीर यादव, अभिभाषक

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री मनीष सिंह तोमर, अति. राजकीय अभिभाषक

समक्ष :- विकास सीतारामजी भाले, अध्यक्ष
अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी वर्तमान में अध्यापक ग्रेड—तृतीय, लेवल—द्वितीय संस्कृत के पद पर निदेशालय, संस्कृत शिक्षा, जयपुर में कार्यरत है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का मुख्य रूप से तर्क है कि अपीलार्थी के विरुद्ध पूर्व में शिकायतों के आधार पर जांच की गयी थी और इसी कारण से अपीलार्थी को दुर्भावनापूर्वक आलोच्य आदेश दिनांक 07.10.2024 (अनुलग्नक-1) के द्वारा एपीओ किया गया था और अपनी उपस्थिति निदेशालय, संस्कृत शिक्षा, जयपुर में देने के निर्देश दिये गये थे। अपीलार्थी के विरुद्ध जांच में शिकायतों को झूठा माना गया। आलोच्य आदेश दिनांक 27.11.2024 (अनुलग्नक-3) के द्वारा अपीलार्थी का पदस्थापन/स्थानांतरण राजकीय उच्च प्राथमिक, संस्कृत विद्यालय, गांधी नगर, खडीन बाडमेर में किया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी के विरुद्ध प्रत्यर्थी विभाग के अधिकारी दुर्भावना रखते हैं। इस कारण के अपीलार्थी के विरुद्ध गलत शिकायतों पर भी जांच की गई और अपीलार्थी को एपीओ किया गया और बाद

में अपीलार्थी को दुर्भावनापूर्वक दूरस्थ पदस्थापित किया गया है, जो उचित नहीं है।

3. हमने विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी, पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का परिशीलन कर मनन किया गया।
4. अतः उपरोक्त तथ्यों को देखते हुए हस्तगत अपील में न्यायहित में अपीलार्थी को निर्देश दिये जाते हैं कि वे अपने सक्षम अधिकारी के समक्ष एक अभ्यावेदन इस आदेश की दिनांक से 2 सप्ताह में प्रस्तुत करें तथा प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिया जाता है कि अपीलार्थी के द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को प्राप्त होने की दिनांक से 2 सप्ताह में अभ्यावेदन पर आख्यात्मक आदेश पारित कर अपीलार्थी को सूचित करें। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा उक्त अभ्यावेदन का निस्तारण नहीं किये जाने तक अपीलार्थी के संबंध में पारित आलोच्य आदेश दिनांक 27.11.2024 (अनुलग्नक-3) का क्रियान्वयन (Operation) अपीलार्थी की सीमा तक स्थगित रहेगा एवं साथ ही यह स्पष्ट किया जाता है कि अपीलार्थी को वहीं कार्यरत रखा जावे जहाँ वह चुनौती आदेश पारित किये जाने से पूर्व कार्यरत था।
5. यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देशों की पालना अपीलार्थी द्वारा नहीं किये जाने पर यह स्थगन आदेश स्वतः ही निष्प्रभावी हो जावेगा।
6. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)

(विकास सीतारामजी भाले)
अध्यक्ष